(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

## GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(26)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 60

Dated: 27/8/20

Notification No. 12/2020- State Tax

No. F.3(26)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/
-In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No. 21/2019- State Tax, dated the 17<sup>th</sup> October, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(73)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/490, dated the 17<sup>th</sup> October, 2019, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that the said persons who have, instead of furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 have furnished a return in FORM GSTR-3Bunder the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) for the tax periods in the financial year 2019-20, such taxpayers shall not be required to furnish the statement in outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 of the said rules or the statement containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 for all the tax periods in the financial year 2019-20."

2. This notification shall come into force on the 21st day of March, 2020.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Sunil Sehgal) Dy. Secretary IV(Finance)

Dated: 27/8/40

No.F3(26)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/60

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi

2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

3. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

- 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 10. Guard File.
- 11. Website.

(Sunil Sehgal)

Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal notification number 21/2019 – State Tax, dated the 17<sup>th</sup> October, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(73)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/ 490, dated the 17<sup>th</sup> October, 2019.

## (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व—I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेटः नई दिल्ली—110 002.

सं.फा. 3(26) / वित्त(राजस्व-I) / 2020-21 / डी.एस. IV /60

दिनांकः 27/6/20

## अधिसूचना संख्या 12/2020-राज्य कर

सं.फा. 3(26) / वित्त(राजस्व—I) / 2020—21 / डी.एस. IV - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व—I) में, अधिसूचना सं 21 / 2019—राज्य कर, दिनांक 17 / 10 / 2019, जिसे सं. फा. 3(73) / वित्त(राजस्व—I) / 2019—20 / डीएस—VI / 490 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग— IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, निम्नतलिखित परंतुक अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उक्त व्यक्तियों को, जो प्ररुप जीएसटी सीएमपी—08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे से युक्त विवरण देने के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019—2020 में कर अविधयों के लिए दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अधीन प्ररुप जीएसटीआर—3ख में विवरणी दिया है, ऐसे करदाता वित्तीय वर्ष 2019—2020 के सभी कर अविधयों के लिए उक्त नियमों के प्ररुप जीएसटीआर—1 में मालों या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति का विवरण या प्ररुप जीएसटी सीएमपी—08 में स्वनिर्धारित कर के भुगतान के ब्यौरे से युक्त विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी।"

2. यह अधिसूचना 21 मार्च, 2020 से लागू मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> (सुनील सहगल) उप सचिव– IV (वित्त)

सं.फा. 3(26) / वित्त(राजस्व-I) / 2020-21 / डी.एस. IV /

दिनांकः अ 7/8/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रसारितः

- 1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 3. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
- 4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

- 5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10. गार्ड फाइल।
- 11. वेब साईट।

(सुनील सहगल) उप सचिव– IV (वित्त)

टिप्पणः मूल अधिसूचना सं 21/2019-राज्य कर, दिनांक 17/10/2019, जिसे सं. फा. 3(73)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डीएस-VI/490 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV, में प्रकाशित किया गया था ।